Gen. No. 13

86/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 86/2015 अनवानी जसकरण सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील करनपुर बनाम 1–काकासिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख नि0 शेरगढ मह0 मलोट हाल 43 जीजी खरलां 2–अन्ग्रेजसिंह 3–गोपालसिंह 4–जसपालकौर 5–केवल सिंह 6–महेन्द्रसिंह 7–जोगेन्द्रसिंह 8–मखनसिंह 9–आत्मादेवी 10–ज्ञानचंद 11–दर्शनलाल आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.06.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री गोविन्द्रपालसिंह मान उपस्थित है। अप्रार्थी काका सिंह के अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी काका सिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर में लंबित प्रकरण सं0 92/2012 अनवानी चाकर सिंह बनाम अन्ग्रेज सिंह आदि अ0 धारा 53, 88, 188, 92ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर में लंबित प्रकरण सं0 92/2012 अनवानी चाकर सिंह बनाम अन्ग्रेज सिंह आदि अ0 धारा 53, 88, 188, 92ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

120/ 1-7-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर